

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI 01)/2025/ई-09778

Corrigendum-2

निदेशालय विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI 01)/2025/ई-09778 दिनांक: 08.01.2025 निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. विज्ञप्ति में बिन्दू संख्या अ "महत्वपूर्ण बिन्दु" के क्रम संख्या 8 के पश्चात निम्नानुसार क्रम संख्या 9, 10 एवं 11 जोड़ा जाता है:-

"9 क्रम संख्या 13 पर अंकित खनि अभियन्ता, जोधपुर के प्लॉट संख्या 08 का क्षेत्र होलपुरकलां वनखण्ड की सीमा से 80 मीटर से 120 मीटर मीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण वन विभाग द्वारा प्राप्त वन अनापत्ति पत्र क्रमांक-एफ () तकनीकी/2024/15751 राजकाज रेफरेन्स न. 12070548 दिनांक 28.11.2024 के अनुक्रम में उच्चतम बोलीदाता/खनन पट्टाधारी खनन पट्टा संविदा निष्पादन से पूर्व वन सुरक्षात्मक एवं वन्यजीव सुरक्षात्मक कार्य हेतु निर्धारित की गई राशि रूपये 12.50 लाख वन विभाग में जमा करवाएंगें।"

"10 क्रम संख्या 15 पर अंकित खनि अभियन्ता, जोधपुर के प्लॉट संख्या 18 का क्षेत्र होलपुरकलां वनखण्ड की सीमा से 80 मीटर से 120 मीटर मीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण वन विभाग द्वारा प्राप्त वन अनापत्ति पत्र क्रमांक-एफ () तकनीकी/2024/15749 राजकाज रेफरेन्स न. 12070548 दिनांक 28.11.2024 के अनुक्रम में उच्चतम बोलीदाता/खनन पट्टाधारी खनन पट्टा संविदा निष्पादन से पूर्व वन सुरक्षात्मक एवं वन्यजीव सुरक्षात्मक कार्य हेतु निर्धारित की गई राशि रूपये 91.00 लाख वन विभाग में जमा करवाएंगें।"

"11 क्रम संख्या 16 पर अंकित खनि अभियन्ता, जोधपुर के प्लॉट संख्या 19 का क्षेत्र होलपुरकलां वनखण्ड की सीमा से 80 मीटर से 120 मीटर मीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण वन विभाग द्वारा प्राप्त वन अनापत्ति पत्र क्रमांक-एफ () तकनीकी/2024/15747 राजकाज रेफरेन्स न. 12070548 दिनांक 28.11.2024 के अनुक्रम में उच्चतम बोलीदाता/खनन पट्टाधारी खनन पट्टा संविदा निष्पादन से पूर्व वन सुरक्षात्मक एवं वन्यजीव सुरक्षात्मक कार्य हेतु निर्धारित की गई राशि रूपये 30.50 लाख वन विभाग में जमा करवाएंगें।"

(बी.एस.सोढ़ा)

अतिरिक्त निदेशक (खान-मुख्या)



क्रमांक निदे / अ.ख.अ.नीलामी / निलामी (ML BAJRI 01) / 2025 / ई-09778

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. क्षेत्रिय प्रबंधक, एमएसटीसी लि0, जयपुर को भेजकर लेख है कि तत्काल वेबसाईट पर प्रकाशन करा सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को अपने स्तर से तत्काल सूचित करावें।
2. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के. का., उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन जोधपुर।
4. अधीक्षण खनि अभियंता जोधपुर।
5. खनि अभियन्ता, जोधपुर।

अतिरिक्त निदेशक (खान-मुख्या)